


OFFICE OF THE MUNICIPAL CORPORATION, BHILAI

NIT

NAME OF WORK :- प्लेसमेंट के माध्यम से विद्युत कर्मचारी प्रदाय कार्य।

S.NO.	DESCRIPTIONS	QTY	RATE	AMOUNT
1	कुशल श्रमिक	2		


Assiatnt Engineer
Municipal Corporation
Bhilai


Sub Engineer
Municipal Corporation
Bhilai

—

कार्यालय नगर पालिक निगम, मिलाई
भवन संधारण विभाग
// नियम एवं शर्ते //

कार्य का नाम :- स्लेसमेंट के माध्यम से विद्युत कर्मचारी प्रदाय कार्य।

1. निविदाकार को उ.ग. राज्य में प्रचलित श्रम कानून का पूर्णतः कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा, श्रमिकों को श्रमायुक्त दुर्ग द्वारा निर्धारित दर से भुगतान की जिम्मेदारी निविदाकार पर होगी। किसी भी प्रकार की शिकायत आने पर संबंधित निविदाकार के विरुद्ध श्रम कानून के तहत नियमानुसार कार्यवाही की जावेगी।
2. विद्युत संधारण हेतु विद्युत श्रमिक उपलब्ध कराने हेतु ई-पंजीकृत विद्युत ठेकेदारों से निविदा आमंत्रित की जाती है।
3. निविदा स्वीकृत होने पर कार्यादेश जारी होने के 03 दिन के भीतर श्रमिक उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
4. कर्मचारियों को श्रम कानून के अंतर्गत साप्ताहिक अवकाश की पात्रता होगा।
5. निविदाकर्ता द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिकों को निर्धारित किए गए 08 घंटे के कार्य अवधि के लिए उपलब्ध कराना होगा। जिसकी 02 बार उपरिथित जांच की जावेगी 01 बार भी अनुपरिथित होने पर उक्त दिवस के पूरे समय अनुपरिथित मानकर श्रमिक की पारिश्रमिक में कटौती कर दी जावेगी।
6. 18 वर्ष के कम आयु के कामगार काम पर नहीं रखे जाएंगे।
7. विद्युत संधारण हेतु श्रमिक निगम द्वारा निर्धारित स्थान में उपलब्ध कराना होगा एवं श्रमिकों को आवश्यक उपकरण कटिंग पलायर/पेचकस/टेरस्टर/हैण्ड ग्लोब आदि कार्य प्रारंभ के पूर्व निविदाकार को उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
8. अनुबंधित एजेंसी द्वारा कार्य पर लगाए गए श्रमिकों को अस्थाई ठंड में गर्म वर्दी एवं बरसात में रेनकोट गम बूट एवं टोपी इत्यादि उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा।
9. एजेंसी द्वारा नियुक्त कर्मचारियों को अनुशासन बना कर कार्य करना होगा। यदि किसी कर्मचारियों के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित अधिकारियों द्वारा सूचित करने पर 24 घंटे के अंदर उसे हटाकर अन्य कर्मचारी नियुक्त करना होगा।
10. अनुबंधित एजेंसी द्वारा उपलब्ध कराए गए श्रमिकों के कार्य करने से निगम को कोई आर्थिक क्षति होती है तो उसकी वसूली अनुबंधित एजेंसी को भुगतान किए जाने वाले देयकों से कटौती की जावेगी।
11. किसी आकर्षित घटना/दुर्घटना की जवाबदारी अनुबंधित एजेंसी की होगी।
12. अनुबंधित एजेंसी को प्रतिमाह मासिक देयक कार्यपालन अभियंता, नगर पालिक निगम, मिलाई को प्रस्तुत करना होगा। प्रस्तुत देयक से समर्त करों की कटौती कर देयक का भुगतान किया जाएगा।
13. दर समर्त कर सहित देना होगा, पृथक से कर/शुल्क देय नहीं होगा।
14. सहायक श्रमायुक्त की दर से समकक्ष अथवा कम होने पर निविदा स्वीकार नहीं की जावेगी एवं एजेंसी द्वारा अपना चार्जेंस नहीं जोड़ने पर निविदा दर मात्र नहीं की जावेगी।

1121

15 नियुत सपारी कर्तवी में लगने वाले समाज कर्मचारियों को अधिकार पर एवं दृष्टी द्वारा
उदाहरण दिया जाएगा।

16 अग्रिमों की उत्तरीयता नियत एवं में समाज जन्म अनियत होता।

17 विश्वी विद्यार की विद्यार में आग्रह बढ़ावद वह विद्यार विद्या विद्या का
विद्या विद्या एवं विद्यार एवं विद्या है विद्यार है।

विद्यार विद्या

विद्या विद्या विद्या
विद्या विद्या विद्या